

जनल हायकोर्ट ऑफ इंडिया RR-464 नॉटोको 14-2-4-1-



साधारण उपजिलाधिकारी, टांडा, रामपुर ।

माह संख्या 15 /12-13

अर्ज संख्या TART-143 लेहण संख्या 100/13

ग्राम - सरकाल/चक सरकाल तहसील

कमला देवी

नाम निर्णय

सरकार



प्रस्तुत माह प्रार्थनी/वादिनी कमला देवी पत्नी हरचरण सिंह निवासी ग्राम सरकाल तहसील टांडा जिला रामपुर के प्रार्थनापत्र के आधार पर प्रार्थना हुआ किसे कहा गया है कि प्रार्थनी/वादिनी की आराजी बिके ग्राम सरकाल में खाना संख्या 88 माटा संख्या 214 रकबा 1-376 है 0 लगानी 34-00 साथे व आराजी बिके ग्राम चक सरकाल तहसील टांडा जिला रामपुर की खाना संख्या 62 माटा संख्या 92 रकबा 0-555 है 0 लगानी 14-50 साथे की संवर्णन भूमिधार तालिका है प्रार्थनी/वादिनी की आराजी बिके ग्राम सरकाल तहसील टांडा जिला रामपुर की चक आराजी में मदाराना स्थली रकबा चौकाल रकबा दस्त सरकाल अथवा कमला देवी पत्नी हरचरण सिंह निवासी ग्राम सरकाल जल कालात माल है तथा प्रार्थनी की उक्त आराजी में माल पर उक्त महाविद्यालय चल रहा है । प्रार्थनी/वादिनी की आराजी बिके ग्राम चक सरकाल तहसील टांडा जिला रामपुर की खाना संख्या 92 माटा संख्या 92 रकबा 0-555 है 0 लगानी 14-50 साथे जल कालात माल है प्रार्थनी/वादिनी को माल पर महाविद्यालय ग्राम सरकाल चल रहा है प्रार्थनी/वादिनी अपने उक्त दोनों नम्बरों को आलदी में घोषित करना चाहती है कि प्रार्थनापत्र पर गौर करना है प्रार्थनी को दोनों नम्बरों को सासरा बातों में आलदी करने के आदेश पारित किये जाने की प्रार्थना की गयी । प्रार्थनापत्र के साथ प्रार्थनापत्र तथा खाने की साल फसली 1419 से 1424 ग्राम सरकाल तथा खाने की साल फसली 1415 -1420 ग्राम चक सरकाल संख्या की गयी है ।

प्रार्थनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र पर तहसीलदार टांडा के आदेश प्राप्त की गयी । तहसीलदार टांडा द्वारा अपनी आख्या में अल्पत राया गया है कि ग्राम सरकाल की माटा संख्या 214 रकबा 1-376 है 0 के अतिरिक्त भाग 0-575 है 0 में स्थान पर काले का भाग बना हुआ है तथा घोषा रकबा 0-701 है 0 में खेती हो रही है माटा संख्या 214 में रकबा 0-575 है 0 रकबा की अतिरिक्त उपयोग में आ रहा है तथा ग्राम चक सरकाल की माटा संख्या 92 रकबा 0-555 है 0 में स्थान पर खेती हो रही है चक सरकाल का रकबा अतिरिक्त उपयोग में नहीं आ रहा है । आख्या के साथ जरी नक्शा संलग्न किया गया है ।

तहसीलदार टांडा की आख्या प्राप्त होने के उपरांत माह जल कालात किया गया तथा वादी के विरुद्ध अधिवक्ता को सूचा । वादी के विरुद्ध अधिवक्ता द्वारा ग्राम सरकाल की माटा संख्या 214 रकबा 1-376 है 0 के अतिरिक्त भाग 0-575 है 0 पर माल पर काले का भाग होने के कारण अतिरिक्त भूमि घोषित करने जाने का निर्देश किया गया है ।

द्वारा अपनी आख्या में ग्राम सरकथाल की गाटा संख्या 214 रकवा 1-376 है 0 के आंशिक भाग 0-675 है 0 में स्थल पर कालेज का भवन बना होने तथा घोषा रकवा 0-701 है 0 में खोती होने की आख्या प्रस्तुत की गयी है । तथा ग्राम चक सरकथाल की गाटा संख्या 92 रकवा 0-665 है 0 में स्थल पर खोती होने के संकेतों में अग्रत कराया गया है । तथा रकवा अद्विष्टक उपयोग में नहीं आ रहा है । पत्रावली के अलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली में संलग्न खातोनी साल फसली 1419 -1424 की गाटा संख्या 214 रकवा 1-376 है 0 पर वादी का नाम संक्रमणी -य भूमिधार के रूप में दर्ज है इसी प्रकार चकसरकथाल की खातोनी साल फसली 1415 से 1420 की गाटा संख्या 92 रकवा 0-665 है 0 पर भी वादी का नाम दर्ज है । वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में ग्राम सरकथाल की गाटा संख्या 214 रकवा 1-376 है 0 में से 0-675 है 0 में स्थल पर कालेज बना होने के कारण अद्विष्टक घोषित किया जाने का निवेदन किया गया है इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं तहसीलदार टांडा की आख्या के परिप्रेक्ष्य में ग्राम सरकथाल की गाटा संख्या 214 रकवा 1-376 है 0 के आंशिक भाग 0-675 है 0 पर स्थल पर कालेज बना होने के कारण अद्विष्टक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है ।

आदेश

अतः उपरोक्त निवेदन के आधार पर आदेश हुआ कि ग्राम सरकथाल तहसील टांडा की गाटा संख्या 214 रकवा 1-376 है 0 के आंशिक भाग रकवा 0-675 है 0 को अद्विष्टक घोषित किया जाता है । उक्त एक गाटा संख्या / रकवा को लगान से मुक्त किया जाता है नजरी स्वशा आदेश का अंग रहेगा । तदनुसार परवाना अमल दरामट जारी हो । आदेश की एक प्रतिलिपि सब रजिस्ट्रार टांडा को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जाये । बाद आवश्यक कार्रवाई पत्रावली दाखिल करार होवे ।

दिनांक 14/02/13

§ रमेश चन्द्र शुक्ला §
उपजिलाधिकारी टांडा ।

उक्त आदेश में द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर काले न्यायालय में उद्घोषित किया गया ।

दिनांक 14/02/13

§ रमेश चन्द्र शुक्ला §
उपजिलाधिकारी टांडा ।

ह० प्रतिलिपि.....
ह० मुकाबला कर्ता.....

- 1- प्रातःनापक संख्या 2634
- 2- प्राथी का नाम श्री श्री रमेश चन्द्र शुक्ला
- 3- प्राथीना पत्र देने की तिथि 23-3-17
- 4- शब्दों की संख्या 1
- 5- स्टाम्प की कीमत रु०-13
- 6- प्रतिलिपि तैयार करने का दिनांक 24-3-17
- 7- प्रतिलिपि जारी करने का दिनांक 24-3-17

सत्य प्रतिलिपि
अभिप्रेत